न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2196–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 312/2010–11/निगरानी ।

.....

मनोज अरोरा पुत्र स्व.हीरालाल अरोरा
जामदारखाना दर्जी ओली, लश्कर,
जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–कु.बदर तथा कथित पुत्री स्व.सैयद मॅसूरशाह
निवासी बाड़ा खवासीवाले दौलतगंज
लश्कर तहसील व जिला ग्वालियर
2–किशनलाल अरोरा(मृतक) पुत्र हीरालाल वारिस :–
श्रीमती सिमरन पत्नि स्व0किशनलाल अरोरा
जामदारखाना दर्जी ओली, लश्कर, तहसील व
जिला ग्वालियर
3–बाबर शाह पुत्र स्व. हबीब शाह
नई सड़क लश्कर ग्वालियर मध्यप्रदेश

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री फैसल शाह, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री एम.एम.श्रीवास्तव एवं श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 17/8/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–06–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 कु.बदर के पिता सयैद मॅसूरशाह के नाम ग्राम शंकरपुर तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 808 रकबा 0.721 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 826 रकबा 0.941 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 828 मिन–1 रकबा 0.742 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 828 मिन–2 रकबा 0.209 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 836 रकबा 0.052 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 839 रकबा 0.513 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 827 रकबा 1.077 हेक्टेयर भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद प्रचलित रहे और इसी दौरान अनावेदिका कमांक 1 के पिता सयैद मंसूरशाह की मृत्यु हो गई । सयैद मंसूरशाह की मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक एवं अनावेदिका कमांक 1 का समान हिस्सा था, परन्तु आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर वर्ष 1975–76 में नामान्तरण करा लिया गया । उपरोक्त तथ्य की जानकारी अनावेदिका कमांक 1 भाई द्वारा बताया जाने पर अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 20–1–2009 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किया जाकर दिनांक 28–2–2011 को आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुये स्पष्ट कारण बताते हुये आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–6–2011 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–6–2012 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा वर्ष 2004 में माननीय उच्च न्यायालय में केताओं को पक्षकार

बनाया गया है, तब अनावेदिका कमांक 1 को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हो गई थी । इसके बावजूद उसके द्वारा वर्ष 2009 में अपील प्रस्तुत की गई है जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य थी, इस आधार पर कहा गया कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा भाई से जानकारी होने का बताया गया तथ्य त्रुटिपूर्ण है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामान्तरण पंजी उपलब्ध नहीं होने के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि अपर आयुक्त के समक्ष नामान्तरण पंजी उपलब्ध हो गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 1994 में वारिसाना नामान्तरण नहीं हुआ है, बल्कि वारिसान द्वारा भूमि का विक्रय करने पर क्रेतागण का नामान्तरण हुआ है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1975 में मंसूरशाह की मृत्यु होने के उपरांत उनके वारिसान द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि मंसूरशाह की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करना संदेह को जनम देता है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपने उत्तर में अनावेदिका कमांक 1 को वर्ष 2004 में नामान्तरण की जानकारी प्राप्त होने का तथ्य प्रस्तुत किया गया था जिसका आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण से प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं इसलिये अनावेदक कमांक 1 के हित प्रभावित नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि विभिन्न न्यायालयों में जो वाद प्रचलित हुये हैं उसमें प्रश्नाधीन भूमि विवादित नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में हुये नामान्तरण में यदि आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तब बाद के नामान्तरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम अपील में हीरालाल की मृत्यु हो गई थी, इसलिये मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है । तर्क के समर्थन में 2003 आरएन 183, 1993 आरएन 287 व 1986(2) एमपीडब्ल्यूएन 174 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दूसरी भूमि के संबंध में है और उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह माना गया है कि यह आदेश प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित नहीं है। यह भी कहा गया कि मोतीझील कोठी मैहर में शामिल थी और मैहर माननीय सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो गई है । इस आधार पर कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैहर निरस्त होने पर राजस्व न्यायालयों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण स्वामित्व के आधार होता है, कब्जे के आधार पर नहीं । ऐसी स्थिति में कब्जे के आधार पर हुआ नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना वैध वारिसों को सूचना दिये सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः अवैधानिक आदेश है । तर्क में यह भी कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में वाद प्रचलित रहने के दौरान भूमि का अंतरण किया गया है जो कि अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

तर्क के समर्थन में 2010 एमजेआर शोर्ट नोट नम्बर 16, 1984 आरएन 243 एवं 1988 आरएन 04 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में अनावेदक कमांक 3 को पक्षकार बनाया गया है । यह भी कहा गया कि दिनांक 7–1–1964 में जो आदेश पारित किया गया है उसमें अनावेदक कमांक 3 को हितबद्ध पक्षकार होने के बाबजूद उसे न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण पंजी की जॉच होना आवश्यक है कि वह मूल पंजी है अथवा बनाई गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया

गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदक कमांक 3 को हितबद्ध पक्षकार माना गया है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई है । ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में नामान्तरण पंजी की शोध जारी है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–06–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर